प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 18.01.2025

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गाड़ियों की ई0सी0एम0 चोरी करने वाले 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 ऑटो रिक्शा, गाड़ियों से चोरी की हुई 07 ई0सी0एम0 व ई0सी0एम0 चोरी करने में प्रयुक्त औजार(उपकरण) बरामद।

कार्यवाही का विवरणः दिनांक 08.01.2025 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी श्री अनिल कुमार गुप्ता निवासी सैक्टर 12 वसुंधरा थाना इन्दिरापुरम द्वारा लिखित तहरीर दी और बताया कि अज्ञात ऑटो सवार व्यक्तियों द्वारा मेरी वैगनॉर गाड़ी की ई0सी0एम0 प्लेट चोरी कर ली गयी है। जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना इन्दिरापुरम पर सुसंगत धारा 303(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए आज दिनांक 18.01.2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर गाड़ियों की ई0सी0एम0 चोरी करने वाले 03 अभियुक्तगण 1. साजिद उर्फ साकिर पुत्र मौ0 सलीम निवासी 36/253 त्रिलोकपुरी थाना मयूर विहार फेस-1 दिल्ली, मूल पता गांव हातमाबाद थाना ठण्डी प्याऊ जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 38 वर्ष, 2. आसिफ पुत्र अख्तर निवासी नागर के मकान में किराये पर गुरूद्वारे के पास विनोद नगर थाना कल्याण पुरी दिल्ली, मूल पता विश्नोई सराय झोझे वाली मस्जिद नगीना थाना नगीना जिला बिजनौर उम्र करीब 30 वर्ष व 3. अफजाल पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी 27/311 त्रिलोकपुरी थाना मयूर विहार फेस-1 दिल्ली उम्र करीब 45 वर्ष को ग्रीन बैल्ट रोड़ थाना इन्दिरापुरम से चोरी के 02 ऑटो रिक्शा, गाड़ियों से चोरी की हुई 07 ई0सी0एम0 व ई0सी0एम0 चोरी करने में प्रयुक्त औजार सहित गिरफ्तार का गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(5),317(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि बरामद दोनों ऑटो रिक्शा इन्ही तीनों लोगों ने मिलकर दिल्ली से चोरी किए गए थे तथा बरामद ऑटो रिक्शा का प्रयोग कर तीनों लोग दिल्ली एनसीआर व गाजियाबाद के घरों के बाहर खड़ी गाडियों के लोक तोड़कर ई0सी0एम0 चुराते हैं तथा ऑटो से जगह बदल-बदल कर ई0सी0एम0 चोरी करने की घटना कारित करते है। इसीक्रम में गिरफ्तार अभियुक्त साजिद उर्फ साकिर पुत्र मौ0 सलीम व आसिफ पुत्र अख्तर उपरोक्त द्वारा दिनांक 07.01.2025 की रात में सैक्टर-12 वसुन्धरा थाना इन्दिरापुरम से एक वैगनार गाड़ी से ई0सी0एम0 चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. साजिद उर्फ साकिर पुत्र मौ0 सलीम निवासी 36/253 त्रिलोकपुरी थाना मयूर विहार फेस-1 दिल्ली, मूल पता गांव हातमाबाद थाना ठण्डी प्याऊ जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 38 वर्ष।
2. आसिफ पुत्र अख्तर निवासी नागर के मकान में किराये पर गुरूद्वारे के पास विनोद नगर थाना कल्याण पुरी दिल्ली, मूल पता विश्नोई सराय झोझे वाली मस्जिद नगीना थाना नगीना जिला बिजनौर उम्र करीब 30 वर्ष।
3. अफजाल पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी 27/311 त्रिलोकपुरी थाना मयूर विहार फेस-1 दिल्ली उम्र करीब 45 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त साजिद उर्फ साकिर पुत्र मौ0 सलीम उपरोक्त विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर चोरी के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है।
- गिरफ्तार अभियुक्त आसिफ पुत्र अख्तर के विरूद्ध थाना कौशाम्बी पर चोरी के सम्बन्ध में 06 अभियोग, थाना साहिबाबाद पर चोरी के सम्बन्ध में 05 अभियोग, थाना इन्दिरापुरम पर चोरी के सम्बन्ध में 03 अभियोग पंजीकृत है।
- अफजाल पुत्र अब्दुल लतीफ के विरूद्ध थाना इन्दिरापुरम पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग, दिल्ली के विभिन्न थानों पर चोरी के सम्बन्ध में 07 अभियोग पंजीकृत है।
- अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी के 02 ऑटो रिक्शा, गाड़ियों से चोरी की हुई 07 ई0सी0एम0 व ई0सी0एम0 चोरी करने में प्रयुक्त औजार(उपकरण) बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 17.01.2025 को थाना अंकुर विहार पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि वादी की पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष को जतिन द्वारा बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार द्वारा तत्काल धारा-137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीडिता की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन कर पीडिता की तलाश की गई।

तत्पश्चात दिनांक 17.01.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा पीडिता को सकुशल बरामद किया गया तथा पीडिता को अपने साथ बहला फुसलाकर ले जाने वाले अभियुक्त जतिन पुत्र दीपक निवासी धर्मेन्द्र बिल्डर्स के पास चमन विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष को चमन विहार अण्डरपास से गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि पीडिता और मैं एक-दूसरे को पिछले 03 वर्ष से जानते हैं। जब पीडिता अपने स्कूल जा रही थी तब मैं पीडिता को अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

जतिन पुत्र दीपक निवासी धर्मेन्द्र बिल्डर्स के पास चमन विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम –

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान व 01 स्कूटी बरामद ।

दिनांक 16.01.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा एक तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की दुकान में से सामान तथा स्कूटी को चोरी कर ले जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा-305 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 18.01.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त बिलाल पुत्र रहीस अहमद निवासी किरायेदार प्रेम नगर थाना लोनी गाजियाबाद मूल निवासी मौहल्ला कंचनपुर भोजीपुरा थाना भोजीपुरा जिला बरेली, उम्र करीब 22 वर्ष को लावान्या फार्म हाउस नहर रोड से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि यह स्कूटी मैंने और मेरे साथी ने जौहरी एन्क्लेव मेट्रो स्टेशन के पास स्थित एक दुकान से चोरी की थी तथा उस दुकान में से सामान भी चोरी किया था जो मैंने आपको बरामद करा दिया है । चोरी का सामान मैंने तथा मेरे साथी ने आपस में बांट लिया था । मेरे हिस्से में आये कुछ सामान को मैंने पहले ही किसी राह चलते व्यक्ति को बेच दिया था तथा जो पैसे मिले थे वो खर्च हो गये । बाकी बचे सामान एवं स्कूटी को आज बेचने के लिये ग्राहक की तलाश में जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया ।

बरामदगी का विवरण -

चोरी की 01 स्कूटी , 01 कार्टून वाईपर, 01 पेटी पेच की, 01 पीवीसी मेट रोल व नान वुवन मेट बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

बिलाल पुत्र रहीस अहमद निवासी किरायेदार प्रेम नगर थाना लोनी गाजियाबाद मूल निवासी मौहल्ला कंचनपुर भोजीपुरा थाना भोजीपुरा जिला बरेली, उम्र करीब 22 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना लोनी बोर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम ।

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा अपहरण, दुष्कर्म व हत्या की घटना कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 02 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

आज दिनांक 18.01.2025 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा थाना लिंक रोड पर अपहरण के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में अपहर्ता उम्र करीब 5 वर्ष की तलाश हेतु ग्राम महाराजपुर एवं मिलने के संभावित स्थानों पर चेकिंग के दौरान सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की अपहर्ता उम्र करीब 5 वर्ष को ले जाने वाला नूर आलम उर्फ राजू कौशांबी बस अड्डे की ओर जाते हुए देखा है । इसी सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना लिंकरोड़ पुलिस टीम द्वारा नूर आलम उर्फ राजू का पीछा किया गया । पुलिस को पीछे आते देख नूर आलम कौशांबी बस अड्डे के पीछे पड़े खाली मैदान में छुप गया । जहां पर अभियुक्त नूर आलम ने खुद को पकड़े जाते

हुए देखकर झाड़ियां की आड़ लेकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर झौंक दिया। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में भाग रहे अभियुक्त नूर आलम के दोनों पैरों में गोली लगी है। अभियुक्त नूर आलम को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ में अपना नाम नूर आलम उर्फ राजू पुत्र मोहम्मद करीम निवासी सागर दिन जिला मधेपुरा बिहार हाल निवासी सलीम बाबू का किराए का मकान ग्राम महाराजपुर थाना लिंक रोड कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष बताया साथ ही बताया कि मैं 15 जनवरी 2025 की रात में करीब 10:30 बजे घर से ग्राम महाराजपुर के बाहर खड़ी बस में सोने के लिए निकला था। मैं इस गाड़ी में हेल्पर का काम करता हूं मेरे पीछे अपहर्ता आ रही थी और मुझसे 05 रूपए मांगे थे। मेरे मन में अचानक से उसके प्रति गलत ख्याल आने लगे मैं उसे पैसे देने का लालच लेकर देकर अपने साथ बस में ले आया था, वहां पर उसके साथ मैंने दुष्कर्म किया जब वह बेहोश हो गई तो मैं डर गया मैने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और बस में रखे एक कट्टे में बांधकर रात्रि में ही पहाड़पुर कूलिंग फैक्ट्री के किनारे बने नाले में फेंक आया था और तभी से घर परिवार वालों के साथ लड़की का तलाश करवा रहा था। जिस किसी को मुझ पर कोई शक ना हो।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

नूर आलम उर्फ राजू पुत्र मोहम्मद करीम मूल निवासी ग्राम सगरदीना जिला मधेपुरा बिहार हाल निवासी ग्राम महाराजपुर थाना लिंक रोड कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

01 तमंचा, 02 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना लिंक रोड पुलिस टीम

थाना भोजपुर पुलिस एवं गौकशी करने वाले अपराधियों से हुई मुठभेड के दौरान थाना भोजपुर से गौकशी में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार/घायल

दिनांक 17/18/01/2025 को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा ग्राम पट्टी से तिबरा जाने वाले रास्ते पर स्थित जंगल में गोकशी करने वाले अपराधियों से हुई मुठभेड़ के दौरान ,पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में 01 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल एवं एक गिरफ्तार तथा कुछ साथी मौके से फरार पूछताछ में पकड़े गए बदमाशों ने अपना नाम महताब पुत्र तौसीफ निवासी कलछीना थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद एबं जाजू पुत्र दोषू निवासी ग्राम भोजपुर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद बताया गिरफ्तार अभियुक्त महताब पर गोकशी एवं

गैंगस्टर सहित आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

बरामदगी का विवरण

1- 01 तमंचा 315 बोर मय जिंदा व खोखा कारतूस

2-छुरा,दाब,रस्सी व अन्य औजार

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना भोजपुर पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 कार बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 17.01.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त मौहम्मद राशिद अली पुत्र मौहम्मद अली निवासी 4/C नार्थ रेंज थाना बनिया पुकुर कोलकाता उम्र करीब 42 वर्ष को ईडीएम बैरियर के पास कौशाम्बी से चोरी की 01 कार सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मौहम्मद राशिद अली पुत्र मौहम्मद अली उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्त मौहम्मद राशिद अली पुत्र मौहम्मद अली उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया गया कि मैने ये कार अमर कॉलोनी लाजपत नगर दिल्ली से चोरी की थी तथा इस कार को मैं अपने प्रयोग में लेने के लिये अपने घर 4/C नार्थ रेंज थाना बनिया पुकुर कोलकाता 700017 लेकर जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

मौहम्मद राशिद अली पुत्र मौहम्मद अली निवासी 4/C नार्थ रेंज थाना बनिया पुकुर कोलकाता उम्र करीब 42 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- चोरी की 01 कार बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त मौहम्मद राशिद अली पुत्र मौहम्मद अली उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर 01 अभियोग तथा दिल्ली मे चोरी व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध मे 03 अभियोग कुल 04 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।